न्यायालय उपजिला कलक्टर अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— सुरेश राव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :—68/2022

जी.सी.एम.एस नं.—2022/143

छगनलाल पुत्र गोपीराम जाति कुम्हार निवासी चक 2 एम एस आर तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

—————प्रार्थी

बनाम्

1. गोपीराम पुत्र मानाराम जाति कुम्हार निवासी चक 2 एम एस आर तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. मोहनलाल पुत्र गोपीराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं.—1 अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. राजाराम उर्फ राजु डाल पुत्र गोपीराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं.—14 अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. गीतादेवी पुत्री गोपीराम पत्नी ओमप्रकाश जाति कुम्हार निवासी चक 18 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)
5. परमेश्वरी पुत्री गोपीराम पत्नी किशनलाल जाति कुम्हार निवासी चक 15 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

—————अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थित—

1. श्री राकेश कुमार गोदारा एडवोकेट प्रार्थी की ओर से
2. श्री राजेन्द्रसिंह एडवोकेट अप्रार्थी सं.—1 ता 4 की ओर से
3. एक पक्षीय कार्यवाही अप्रार्थी सं.—5 की ओर से

—:: निर्णय ::—

दिनांकः—30/04/26

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि वाके चक 2 एमएसआर तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा 14 पत्थर सं.—305/437 का किला नं.—3, 4, 8, 13, 18, 23/2 में कुल 1.4670 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी के पिता यानि अप्रार्थी सं.—1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उपरोक्त कृषि भूमि को वाद पत्र में आयंदा वादग्रस्त कृषि भूमि दर्ज किया जावेगा। चित्र प्रति जमाबंदी सलग्न है। प्रार्थी यहां यह स्पष्ट करता है कि प्रार्थी के दादा श्री मानाराम के नाम से चक 2 एमअएसआर व चक 88 जीबी तहसील अनूपगढ़ में 50 बीघा कृषि भूमि थी। प्रार्थी के दादा के देहांत के बाद स्व. श्री मानाराम के [illegible] सहित कुल 8 जायज वारिस है। इस प्रकार स्व. श्री मानाराम के [illegible] हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि विरासतन प्राप्त हुई है तथा वाद[illegible] कृषि भूमि इसी अप्रार्थी सं.—1 को अन्य कृषि भूमि के साथ विरासतन प्राप्त हुई है। इस प्रकार वादग्रस्त कृषि भूमि पैतृक सम्पति होने के कारण वादग्रस्त भूमि पै[illegible] सहदायिकी सम्पति है जिसमे प्रार्थी व अप्रार्थी सं.—1 के परिवार के प्रत्येक सदस्य का सहदायिकी के रूप में जन्म से ही हिस्सा बनता है चूंकि उक्त भूमि अप्रार्थी सं.—1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में है। उक्त भूमि केवल अप्रार्थी सं.—1 की ही नहीं बल्कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.04.30 17:03:23 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

प्रत्येक सदस्य का सहदायिकी के रूप में अपने 2 हिस्सा के मालिक है तथा प्रार्थी का उक्त पैतृक सम्पतिं मे 1/8 हिस्सा निहित है। अप्रार्थी सं.–1 जो कि शराबी किस्म का व्यक्ति है तथा हर समय शराब के नशे में धुत रहता है। अप्रार्थी सं.– अपने नशे की लत के चलते अप्रार्थी सं.–1 अपनी उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि अन्यत्र हस्तांतरित करने की फिराक में है तथा प्रार्थी को उसके हिस्सा से वंचित करने को उतारू है। जिसके संबंध में प्रार्थी ने कई बार अपने रिश्तेदारो, जाति बिरादरी के व्यक्तियो की पंचायत कर अप्रार्थी सं.–1 को समझाने का प्रयास किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि पैतृक सम्पत्तिं है जिसमें अप्रार्थी सं.–1 के परिवार के प्रत्येक सदस्य का सहदायिकी हिस्सा है तथा प्रार्थी का 1/6 हिस्सा बनता है तथा प्रार्थी अपना 1/6 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। इसलिए अप्रार्थी सं.–1 वादग्रस्त कृषि भूमि का किस्म व रास्ता, खाला आदि की सुविधाओ के मध्यनजर बंटवारा करते हुऐ वादग्रस्त कृषि भूमि में से प्रार्थी क़ा 1/6 हिस्सा प्रार्थी के नाम से करावें। लेकिन अप्रार्थी सं.–1 प्रार्थी की कोई बात नहीं सुनता तथा हर बार वादग्रस्त कृषि भूमि मे से प्रार्थी को उसका हिस्सा देने बाबत बहानेबाजी कर टाल मटोल करता रहा है। प्रार्थी ने पंचायत कर वादग्रस्त कृषि भूमि का किस्म, खाला व रास्ता के मध्यनजर वादग्रस्त कृषि भूमि का बंटवारा करते हुऐ प्रार्थी का 1/6 हिस्सा प्रार्थी के नाम से करवाने बाबत कहा तो पंचायत के समक्ष अप्रार्थी सं.–1 ने प्रार्थी का 1/6 हिस्सा प्रार्थी को देने से स्पष्ट इकार करते हुऐ अप्रार्थी सं.–1 ने प्रार्थी को ऐलानिया कहा कि वादग्रस्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड मे मेरे नाम से है, मुझे उक्त भूमि हस्तांतरित करने से कोई नही रोक सकता है तथा वह शीघ्र ही समस्त वादग्रस्त कृषि भूमि अन्यत्र हस्तांतरित कर प्रार्थी को उसके 1/6 हिस्सा से वंचित कर दूंगा तथा प्रार्थी को कोई हिस्सा नहीं दूंगा। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य वादग्रस्त कृषि भूमि का किस्म के अनुसार बंटवारा नहीं हुआ है तथा बंटवारा से पूर्व प्रत्येक काश्तकार का भूमि के प्रत्येक हिस्सा पर बराबर का हक होता है। लेकिन अपार्थी सं.–1 अवैध तरीके से वादग्रस्त कृषि भूमि बंटवारा से पूर्व, प्रार्थी को उसके 1/6 हिस्सा से वंचित करने के आश्य से अन्यत्र हस्तांतरित करने की फिराक में है यदि अप्रार्थी अपने अवैध आश्य में कामयाब हो गऐ तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मुल्याकंन मुद्रा में नहीं किया जा सकता। इस प्रकार प्रार्थी अपने हितो की सुरक्षा के लिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं.–1 के खिलाफ इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह मूल वाद के निस्तारण तक कृषि भूमि वाके चक 2 एमएसआर तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–14 पत्थर सं.–305/437 का किला नं–3, 4, 8, 13, 18, 23/2 में कुल 1.4670 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि अन्यत्र रहन, बैय, हस्तांतरित व अन्य किसी प्रकार से खुर्द बुर्द करने से निषेध रहे तथा रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाऐ रखे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलब किया गया। अप्रार्थी [illegible] ने प्रकरण में उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि विवादित कृषि भूमि चक 2 एम एस आर तहसील अनूपगढ़ का प.नं.–305/437 मु. नं.–14 का कि.नं.–3, 4, 8,13, 18, 23/2 में कुल 1.467 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि अप्रार्थी सं.–1 के नाम से दर्ज होना रिकार्ड का तथ्य है अप्रार्थी सं.–1 अपनी उक्त खातेदारी कृषि भूमि का हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने का विधिक अधिकारी है। प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की कोई अधिकारिता नहीं है प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.04.30 17:03:23 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

ने हस्तगत प्रार्थना पत्र अधिकार रहित प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र में मानाराम के नाम से चक 2 एम एस आर व चक 88 जी बी तहसील अनूपगढ़ में कृषि भूमि थी स्वीकार है लेकिन शेष मद जिस तरह से दर्ज की गई है स्वीकार नंही है चूकिं स्व. मानाराम के वारिस के तौर पर अप्रार्थी सं.–1 को 1.467 हैक्टर कृषि भूमि विरास्तन प्राप्त नही। हुई थी बल्कि प्रार्थना पत्र में दर्ज कृषि भूमि 1.467 हैक्टर भूमि में से कि.नं.–2 की 10 बिस्वा 8, 13, 18, 23 की कुल 4–10 बीघा भूमि अप्रार्थी सं.–1 को जरिए पंजीकृत तमलीकनामा दिनांक 11.04.1972 को प्राप्त हुई थी तथा कि.नं.–3 की 0.126 हैक्टर भूमि अप्रार्थी सं.–1 के भाई जयकिशन पुत्र मानाराम से जरिए पंजीकृत दान पत्र दिनांक 04.04.2011 को प्राप्त हुई थी व शेष भूमि अप्रार्थी सं.–1 ने जरिए पंजीकृत बैयनामा खरीद की है इस प्रकार उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी सं.–1 को विरास्तन प्राप्त ना होकर जरिए पंजीकृत दस्तावेज तमलीमनामा व दान पत्र तथा बैयनामा के द्वारा प्राप्त होकर अप्रार्थी सं.–1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई थी जो अप्रार्थी सं.–1 की विरास्तन अथवा पैतृक सम्पति ना होकर अप्रार्थी सं. –1 की पृथक सम्पति है जिसमें प्रार्थी अथवा अन्य किसी भी वारिस का कोई सरोकार व वास्ता अप्रार्थी सं.–1 के जीवनकाल में नहीं है और ना ही प्रश्नगत भूमि पैतृक सहदायिकी सम्पति है और ना ही प्रश्नगत भूमि में अप्रार्थी सं.–1 के जीवनकाल में किसी प्रकार से पैतृक सहदायिकी के रूप में प्रार्थी का किसी प्रकार का हित निहित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी प्रश्नगत भूमि का सहदायी नहीं है। कानूनन किसी भी व्यक्ति को पृथक सम्पति के रूप में प्राप्त सम्पति में उसके जीवनकाल में उसके किसी भी विधिक वारिस का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अप्रार्थी सं.–1 की खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो किसी भी प्रकार से प्रार्थी की पैतृक सम्पति नहीं है और ना ही अप्रार्थी सं.–1 शराब का सेवन करता है चूकिं अप्रार्थी सं.–1 वादग्रस्त कृषि भूमि का खातेदार कृषक है जिसका उपयोग उपभोग करने का अप्रार्थी सं.–1 हर प्रकार से विधिक अधिकारी है लेकिन प्रार्थी जो कि अप्रार्थी सं.–1 का पुत्र है और अप्रार्थी सं.–1 को विभिन्न प्रकार से तंग परेशान कर रहा है तथा इसी उदेश्य से ही प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र झुठे एवं मिथ्या तथ्य दर्ज करते हुऐ पेश किया है चूकिं प्रश्नगत भूमि किसी प्रकार से पैतृक सम्पति नही है और ना ही अप्रार्थी सं.–1 के जीवनकाल में प्रार्थी या अन्य किसी वारिस का कोई 1/6 हिस्सा बनता है और ना ही अप्रार्थी सं.–1 के जीवनकाल में प्रार्थी किसी प्रकार का का कोई हिस्सा प्रश्नगत भूमि में प्राप्त करने का विधिक अधि कारी है इस मद की रचना महज प्रार्थना पत्र को तरजीह देने की गर्ज से झुठी एवं मिथ्या अंकित की गई है। चूकिं प्रश्नगत भूमि अप्रार्थी सं.–1 की पृथक सम्पति है जिसमें प्रार्थी का कोई सरोकार व वास्ता नही है और ना ही कथित तौर पर कोई 1/6 हिस्सा भूमि बंटवारा में प्रार्थी को कभी दी गई है। इस मद की रचना महज वाद कारण बनाने के उदेश्य से झुठी एवं मिथ्या अंकित की गई है प्रार्थी को अप्रार्थी सं. –1 के विरूद्ध कोई वाद कारण प्राप्त नंही है अतः प्रार्थी का [illegible] काबिल निरस्ती के है। अप्रार्थी सं.–1 वादग्रस्त कृषि भूमि का खातेदार कृषक है अप्रार्थी सं.–1 की पृथक सम्पति है तथा समस्त कृषि भूमि अप्रार्थी सं.–1 के निरन्तर एवं शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त में चली आ रही है जिसका उपयोग [illegible] करने का अप्रार्थी सं.–1 हर प्रकार से विधिक अधिकारी है जिसमें प्रार्थी का अप्रार्थी सं.–1 के जीवनकाल में कोई सरोकार व वास्ता नहीं है। प्रार्थी को किसी प्रकार की अपूर्णिय क्षति नंही है। ऐसी स्थिति में खातेदार कृषक के तिसरीत विरुन्द्र किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र काबिल निरस्ती के

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.04.30 17:03:23 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

है। प्रार्थी की पैतृक सहदायिकी सम्पति व हिन्दू खानदान की अविभाजित सम्पति नंही है बल्कि अप्रार्थी सं.–1 की पृथक खातेदारी कृषि भूमि है ऐसी स्थिति में प्रार्थी अप्रार्थी सं.–1 के जीवनकाल में प्रार्थी किसी प्रकार से प्रश्नगत भूमि का 1/6 हिस्सा भूमि प्राप्त करने का विधिक अधिकारी ही है और ना ही प्रार्थी का कोई हित निहित है ऐसी स्थिति में प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने की कोई लोकसस्टेण्डी नंही है और ना ही प्रार्थी अप्रार्थी सं.–1 के नाम की प्रश्नगत कृषि भूमि में किसी प्रकार से 1/6 हिस्सा के अधिकारो की घोषणा करवाने कतई विधिक अधिकारी नही ळें कृषि भूमि अप्रार्थी सं.–1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में पृथक से खातेदारी दर्ज है तथा अप्रार्थी सं.–1 के जीवनकाल में उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी का कोई हक अधिकार व हिस्सा नंही बनता। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थी सं.–1 के जीवनकाल में उसकी खातेदारी कृषि भूमि में कोई हिस्सा प्राप्त नही कर सकता इसलिऐ प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधि द्वारा वर्जित होने के कारण काबिल निरस्ती के है। अप्रार्थी सं.–1 प्रार्थी का पिता है जो अभी जिवित है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानो के अर्न्तगत कोई भी पुत्र अपने पिता से उसके जीवनकाल में उसकी पृथक सम्पति का बटवारा कानूनन नहीं मांग सकता एवं ना ही बंटवारा व घोषणा का प्रार्थना पत्र लगा सकता है जबकि उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अप्रार्थी सं.1 के जीवनकाल में पेश किया है तथा ना ही प्रार्थी का प्रश्नगत भूमि के किसी भू भाग पर कब्जा है बल्कि प्रश्नगत भूमि अप्रार्थी सं.–1 के कब्जा काश्त में है प्रार्थी स्वच्छ हाथो से न्यायालय के समक्ष नहीं आया है प्रार्थी अप्रार्थी सं.–1 की उक्त खातेदारी कृषि भूमि को हथियाने के लिऐ प्रयासरत है चूकिं प्रार्थी स्वयं व उसकी पत्नी का व्यवहार अप्रार्थी सं.–1 के प्रति सही नहीं है जो हमेशा अप्रार्थी सं.–1 से लडाई झगडा करते रहते है तथा प्रार्थी व उसकी पत्नी अप्रार्थी सं.–1 के कहने सुनने में नंही है इस कारण अप्रार्थी सं.–1 ने इन्हे बेदखल कर रखा है जिनकी बेदखली की सूचना दिनांक 27.05.2022 को अखबार में भी प्रकाशित करवाई जा चुका है अखबार की प्रति सलग्नं है। इसके अलावा प्रश्नगत भूमि का प्रार्थी सहदायी नंही है। इस प्रकार प्रार्थी अप्रार्थी सं.–1 के जीवनकाल में उक्त प्रश्नगत कृषि भूमि में किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा प्राप्त करने का विधिक अधिकारी नंही है ऐसी स्थिति में भी प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र विधि द्वारा वर्जित होने के कारण काबिल निरस्ती के है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्जा खारिज फरमाया जावें।

न्यायालय द्वारा बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया पत्रावली का सुक्ष्मता से अवलोकन किया। दोनो पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का भी अध्ययन किया। प्रार्थीगण के विद्ववान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया। धारा 212 आर.टी.एक्ट के प्रार्थना–पत्र के निस्तारण के लिये हमारे समक्ष तीन बिन्दू है। जिन पर न्यायालय का विवेचन इस प्रकार से है:-

प्रथम दृष्टया प्रकरण :–यह कि प्रार्थी ने अपने [illegible] में वर्णित किया है कि प्रार्थी के दादा श्री मानाराम के [illegible] 88 जीबी तहसील अनूपगढ़ में 50 बीघा कृषि भूमि थी। प्रार्थी के दा[illegible] देहांत के बाद स्व. श्री मानाराम के अप्रार्थी सं.–1 सहित कुल 8 जायज वारिस है। इस प्रकार स्व. श्री मानाराम के प्रत्येक पुत्र को 1.4670 हैक्टर कमाण्ड खात[illegible] कृषि भूमि विरास्तन प्राप्त हुई है तथा वादग्रस्त कृषि भूमि इसी अप्रार्थी सं.–1 को अन्य कृषि भूमि के साथ विरास्तन प्राप्त हुई है। इस प्रकार वादग्रस्त कृषि भूमि पैतृक सम्पति होने के कारण वादग्रस्त भूमि पैतृक सहदायिकी सम्पति है जिसमे प्रार्थी व अप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.04.30 17:03:23 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

सं.–1 के परिवार के प्रत्येक सदस्य का सहदायिकी के रूप में जन्म से ही हिस्सा बनता है चूंकि उक्त भूमि अप्रार्थी सं.–1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में है। अप्रार्थीगण ने अपने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है कि अप्रार्थी सं.–1 के भाई जयकिशन पुत्र मानाराम से जरिए पंजीकृत दान पत्र दिनांक 04.04.2011 को प्राप्त हुई थी व शेष भूमि अप्रार्थी सं.–1 ने जरिए पंजीकृत बैयनामा खरीद की है इस प्रकार उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी सं.–1 को विरास्तन प्राप्त ना होकर जरिए पंजीकृत दस्तावेज तमलीमनामा व दान पत्र तथा बैयनामा के द्वारा प्राप्त होकर अप्रार्थी सं.–1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई थी जो अप्रार्थी सं.–1 की विरास्तन अथवा पैतृक सम्पति ना होकर अप्रार्थी सं.–1 की पृथक सम्पति है जिसमें प्रार्थी अथवा अन्य किसी भी वारिस का कोई सरोकार व वास्ता अप्रार्थी सं.–1 के जीवनकाल में नहीं है और ना ही प्रश्नगत भूमि पैतृक सहदायिकी सम्पति है और ना ही प्रश्नगत भूमि में अप्रार्थी सं.–1 के जीवनकाल में किसी प्रकार से पैतृक सहदायिकी के रूप में प्रार्थी का किसी प्रकार का हित निहित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी प्रश्नगत भूमि का सहदायी नहीं है। कानूनन किसी भी व्यक्ति को पृथक सम्पति के रूप में प्राप्त सम्पति में उसके जीवनकाल में उसके किसी भी विधिक वारिस का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अप्रार्थी सं.–1 की खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अतः न्यायालय के विनम्र मत में प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में बनना नही पाया जाता है अतः उक्त प्रथम दृष्टया प्रकरण का बिन्दु प्रार्थी के विरूद्व तय किया जाता है।

सुविधा का संतुलन :–जहाँ तक सुविधा का संतुलन का तथ्य है चूकि प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के विरूद्व तय किया गया है ऐसी स्थिति में अगर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेद्याज्ञा जारी की जाती है तो प्रार्थी के अपेक्षा अप्रार्थीगण को ज्यादा असुविधा होगी तथा अप्रार्थी संख्या 1 अपने खातेदारी कृषि भूमि का उपयोग उपभोग करने से वचित हो जायेगा। जबकि कानून व अप्रार्थीगण अपने खातेदारी कृषि भूमि का हर प्रकार से उपयोग व उपभोग करने का अधिकारी है इस प्रकार सुविधा का संतुलन तथ्य भी प्रार्थी के विरूद्व तय किया जाता है।

अपूर्णीय क्षति :–चूकि प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन के बिन्दु अप्रार्थीगण के विरूद्व तय किये जा चुके है तथा प्रार्थी को किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति नही है यदि उक्त प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर अप्रार्थी को पाबंद किया जाता है अप्रार्थी कानून द्वारा प्रदत अपने खातेदारी कृषि को उपयोग व उपभोग करने से वचित हो जायेगा। जिससे प्रार्थी के मुकाबले अप्रार्थी को अधिक क्षति होगी। ऐसी स्थिति में अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के विरूद्व तय किया जाता है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के विरूद्व तय किये गये है अतः न्यायालय से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के माध्यम से अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 राज.काश्त.अधिनियम खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30/04/26 को खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.04.30 17:03:23 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

कार्यालय उप जिला कलक्टर एवं ... जिला श्रीगंगानगर